रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1979/वैशाख 11, 1901
No. 136] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1979/VAISAKHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

सा. का. नि. 280 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के खंड 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट नियम 1979 (पांचवां संशोधन) कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची 1 में—

(1) कालम 3 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या 7 के सामने, "पांडिचेरी" शब्द के स्थान पर शब्द एवं कोष्ठ "पांडिचेरी (माहे जिले को छोड़कर)" रखे जाएंगे ;

(2) कालम 2 की प्रविष्टि में क्रम संख्या 8(1) के सामने 'एर्नाकुलम' शब्द जहां कहीं भी आएगा, उसके स्थान पर 'कोचीन' शब्द रखा जाएगा ;

(3) कालम 3 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या 8(2) के सामने "केरल राज्य" शब्दों के स्थान पर "केरल राज्य एवं पांडिचेरी संघ क्षेत्र का माहे जिला" शब्द रखे जाएंगे ।

के. डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1979

G.S.R. 280 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1967,—

(i) against serial No. 7, in the entry in column 3, for the word "Pondicherry", the words and brackets "Pondicherry (excluding the District of Mahe)" shall be substituted ;

(ii) against serial No. 8(i), in the entries in column 2, for the word "Ernakulam", wherever it occurs, the word "Cochin" shall be substituted ;

(iii) against serial No. 8(ii), in the entry in column 3, for the words "State of Kerala", the words "State of Kerala and the District of Mahe in the Union territory of Pondicherry" shall be substituted.

K. D. SHARMA, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979